RNI No. MAHBIL/2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३७] बुधवार, डिसेंबर २, २०१५/अग्रहायण ११, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १ दिसम्बर २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXII OF 2015.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २२, सन २०१५।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधन हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९६१ का महा. २४।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतदद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा २ के खण्ड (१४-क) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्,— सन् १९६१ का महा. २४ ।

''(१४-क) कृत्यकारी निदेशक'' का तात्पर्य, धारा ७३ क क क की उप-धारा (२) के द्वितीय परंतुक के अधीन चयनित या निर्वाचित संस्था के कर्मचारियों के प्रतिनिधि से हैं ;''।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ क क क में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ७३ क क क की उप-धारा (२) में,—

(क) द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

'' परंतु आगे यह कि,—

(एक) समिति के मामले में, ग्यारह सदस्यों से अधिक नही है, उसके सदस्य के रुप में एक कृत्यकारी निदेशक सम्मिलित किया जायेगा ; और

(दो) समिति के मामले में, ग्यारह सदस्यों से कम नही है, और इक्कीस सदस्यों से अधिक नही हैं, उसके सदस्यों के रूप में दो कृत्यकारी निदेशक साम्मिलित किये जायेंगे।

ऐसे कृत्यकारी निदेशक, संस्था के कर्मचारियों में से, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम या महाराष्ट्र व्यापार संघ मान्यता तथा अनुचित परिश्रम प्रथा अधिनियम, १९७१ के अधीन मान्यताप्राप्त संघ या संघों द्वारा चुने जायेंगे। जहाँ ऐसे मान्यताप्राप्त संघ या अनेक संघ न हो या जहाँ कोई संघ ही न हो या जहाँ संघ मान्यताप्राप्त है या नहीं है समेत ऐसे वादों के संबंध मे विवाद है, तब ऐसे कृत्यकारी निदेशक विहित रित्या उनमें से, संस्था के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। कोई कर्मचारी जो निलंबन के अधीन है, वह इस परंतुक के अधीन समिति के सदस्य के रूप में चयनित या निर्वाचित किये जाने के लिये या निरंतर रहने के लिये पात्र नहीं होगा :'';

(ख) तिसरे परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु यह भी कि, सरकार की ओर उसकी शेअर पूंजी के अंशदान वाली संस्था के संबंध में समिति, निम्न दो सदस्यों को भी सम्मिलित करेगी अर्थात् :–

(एक) सरकार द्वारा नामित, सहकारी संस्थाओं के सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का एक सरकारी अधिकारी ; और

(दो) सरकार द्वारा नामित, संस्था के कार्य का अपेक्षित अनुभव और विहित की जाये ऐसी अर्हता रखने वाला अन्य :'';

(ग) चतुर्थ परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ग क में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा ७३ ग क की उप-धारा (१) के, खण्ड (चार) में, '' या धारा ७३ क की उप-धारा (२) के अधीन संस्था की समिति पर कृत्यकारी निदेशक के रुप में नामित है '' शब्दों, कोष्टकों अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, ''धारा ७३ क क क की उप-धारा (२) के अधीन संस्था की समिति पर कृत्यकारी निदेशक के रूप में चयनित या निर्वाचित है'' शब्द, कोष्टकों अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) की धारा ७३ क क क, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी संस्थांओं की समितियों के गठन के लिए उपबंध करती है।

यह देखा गया हैं कि संस्थाओं की समितियों पर संस्थाओं के कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जहाँ समिति सदस्यों की संख्या सत्रह से कम है, वहाँ ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों का हित दांव पर लगा है। यह भी देखा गया है कि, सरकार की ओर शेयर पूंजी का अंशदान होनेवाली संस्थाओं में, सरकार, साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं के हितों की सुरक्षितता की दृष्टि से वहाँ पर ऐसी संस्थांओं के कार्य का अनुभव होनेवाले सरकारी अधिकारी से अन्य व्यक्ति को नामित करने की जरुरत है।

इसलिए, निम्न कतिपय उपबंधो को सम्मिलित करके उक्त अधिनियम की धारा ७३ क क क में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है,—

(एक) कृत्यकारी निदेशकों के रुप में संस्था के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति ; और

(दो) सरकार की ओर उसकी शेयर पूंजी का अंशदान होनेवाले संस्था के मामले में, समिति के सदस्य के रूप में संस्था के कार्य का अनुभव होनेवाले और विहित अर्हताएँ धारण करनेवाले सरकारी अधिकारी से अन्य व्यक्ति का नामांकन करना है।

२. क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १ दिसम्बर २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. स. क. शर्मा,
शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.